"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2013—पौष 14, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्रमांक 117/डी. 4/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27-12-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 1 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 237 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 237 की उप-धारा (3) में, शब्द "यथा कृषि, आबादी, सड़क निर्माण, नहर, तालाब, अस्पताल, शाला, कॉलेज, विद्युत केन्द्र, गौशाला, घटकारों (कुम्हारों) द्वारा मिट्टी का उत्खनन या अन्य किसी सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं जैसा कि राज्य शासन द्वारा अवधारित किया जाए" के स्थान पर शब्द "यथा कृषि, आबादी, आवासीय परियोजनाएं, सड़क निर्माण, नहर, तालाब, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक गोदाम, विद्युत प्रणाली, गौशाला, घटकारों द्वारा मिट्टी का उत्खनन, गौण खनिज या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं जैसा कि राज्य शासन द्वारा अवधारित किया जाए" प्रतिस्थापित किए जाएं.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्रमांक 117/डी. 4/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 1 of 2013)

CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Re-public of India, as follows :

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2012. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-section (1) of Section 237 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) for the words "as agriculture, abadi, construction of roads, canals, tanks, hospitals, schools, colleges, power station, gaushalas, excavation of clay by potters (kumhars) or any other public utility projects as may be determined by the State Government.", the words "as agriculture, abadi, residential projects, construction of roads, canals, tanks, hospitals, schools, colleges, Government offices, public godowns, power system, gaushalas, excavation of clay by potters, minor minerals or any other public utility projects as may be determined, by the State Government." shall be substituted. **Amendment of Section 237.**

मंचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.